

राज्य सरकार विभाग विकास एवं आवासन विभाग,

हाल कार्यालय- राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

दिनांक : 20/3/85

संख्या :-

1. 1/85/1
2. 1/85/2
3. 1/85/5
4. 1/85/6



विवरण :- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम सुखलपुरा व झालाना वौड़

दीखसोन अधिकारी :- 1- श्री बी.एम.शर्मा, विशेष अधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज० जयपुर ।

दक्षकार :-

1- श्री नारायण पुत्र हुक्मा, नानगा, लाला, धन्या भूरया, मोहरू पुत्र लादू माली ।

2- श्री लादू पुत्र नानू माली ।

3- श्री रघुनाथ, सोन्या, नहनू ।

4- श्री छोतर पुत्र सूजीलाल माली ।

5- राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये श्री एल.सी. गुप्ता एवं सी.एम. वर्मा, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं श्री जे.के. सिंधी, एडवोकेट ।

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् आवासीय कॉलोनी ग्राम सुखलपुरा व झालाना वौड़ जिला जयपुर का 132 बीघा 00 बिस्वा भूमि आवंटन करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जायेगा, की धारा 4 के अन्तर्गत दिये जिसकी अधिसूचना क्रमांक:प०।१७२१नविआ/3/81 दिनांक 5-4-85 को जारी की गई थी ।

विभाग विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर

तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि को अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 बी

उपधारा 111 में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त क्लिप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को क्लिप्ति क्रमांक प078728नविआ/3/85 दिनांक 16-10-1985 को राजस्थान राज-पत्र के भाग 188 में दिनांक 28-11-85 को प्रकाशित हुई, के द्वारा अधिकृत किया।



3- धारा 1744 की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् नियमा-नुसार सम्बन्धित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 913 के नोटिस दिनांक 1-1-86 को जारी किया गया। उक्त नोटिस जारी होने के 15 दिवस पश्चात् भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई जिसके अनुसार दिनांक 11-2-86 एवं 7-12-88 को भूमि का कब्जा लिया गया। उक्त भूमि का कब्जा लेकर मौके पर ही राजस्थान आवासन मण्डल के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया गया।

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित खातेदारों को अधिनियम की धारा 913 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

5- वर्तमान में उपरोक्त में से अवार्ड दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	वाद संख्या	नाम खातेदार	ख०नंबर	रकबा बीघा बिस्वा
1-	1/89811	श्री नारायण पुत्र हुक्मा, नानगा, 14मिन लाला, धन्या, भूरया, मोहरू पुत्र लादू माली		8 - 10
2-	1/85822	श्री लादू पुत्र नानू माली	21	3 - 10
3-	1/85851	श्री रघुनाथ सोन्या, नहनू	8	10 - 00
4-	1/85861	श्री छोतर पुत्र सूजी माली	1	4 - 05

सोपानिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

अधिनियम की धारा 9833 के अन्तर्गत दावेदारों को नोटिस दिया गया इनमें दावेदारों द्वारा क्लेम पेश किये गये जो पत्रावली में उपलब्ध हैं एवं क्लेमों का उत्तर राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिया गया तथा तकमीना प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली में संलग्न है।

इस योजना के समीप स्थित मानसरोवर प्रथम योजना में पूर्व में भूमि के अनेक मामलों में अवार्ड जारी हो चुका है जिनमें भूमि की दर औसतन 20,000/- प्रति बीघा दी गई है, जिसका भुगतान भी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किया जा चुका है। मानसरोवर प्रथम एवं इस योजना मानसरोवर द्वितीय की धारा 4811 की क्लिप्स में लगभग साठे तीन वर्ष का अन्तर है। अतः पूर्व में निर्धारण की गई औसत दर में इस अवधि का बैंक ब्याज जोड़ते हुये इस भूमि का मौका सुआवजा दिया जाना न्यायोचित समझता हूँ। मेरे द्वारा भूमि का मौका निरीक्षण भी किया जा चुका है एवं भूमि का मौका देखने के पश्चात् ही उपरोक्त आधार पर सुआवजे की दर न्यायोचित मानी जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावेदारों के हक सुआवजे का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है :-

1- वाद संख्या :- 1/8511 श्री नारायण पुत्र हुक्मा, नानगा, लाला, धन्या, भूरया, मोहरू पुत्र लादू माली :-

1- कुल भूमि 8 बीघा 10 बिस्वा का	
सुआवजा रू 28,000/- प्रति बीघा	
की दर रुपये -	2,25,400.00
2- डोले, पेड़ आदि का तकमीना रुपये-	2,430.00
कुल :	2,27,830.00

3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये - 68,349.00

उपरोक्त सुआवजे की राशि पर भुगतान की दिनांक तक नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

सहायक
विभाग एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाढ संख्या :- 1/85121 खातेदार - श्री लालू पुत्र नानू माली :-

- 1- कुल भूमि 3 बीघा 10 बिस्वा का
मुआवजा रुपये 29,000/- प्रति बीघा
की दर से रुपये - 88,450.00
- 2- डोले, पेड़, झोपड़ियाँ आदि का
तकमीना रुपये - 4,661.78

4,661.78

93,111.78

- 3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये - 27,933.53

उपरोक्त राशि पर भुगतान की दिनांक तक नियमानुसार
ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा
भुगतान के समय की जायेगी।

3- वाढ संख्या :- 1/85151 खातेदार - श्री रघुनाथ सोन्या, नहनू :-

- 1- कुल भूमि 10 बीघा का मुआवजा
रुपये 29,000/- प्रति बीघा की
दर से रुपये - 2,90,000.00
- 2- कुँ, डोले, पेड़, झोपड़ी, टैंक
आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रुपये - 23,393.23

2,90,000.00

23,393.23

3,13,393.23

- 3- 30% सोलेशियम की राशि रुपये - 94,017.97

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार भुगतान की दिनांक तक ब्याज
देय होगा।

4- वाढ संख्या :- 1/85161 खातेदार - श्री छोतर पुत्र सृजिलाल माली :-

अधिकारी
राजस्थान आवासन विभाग
जयपुर

- 1- कुल भूमि 4 बीघा 5 बिस्वा का
मुआवजा 30,000/- रुपये प्रति
बीघा की दर से रुपये - 1,27,500.00
- 2- राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार
डोले, पेड़, कुँ, घुमटी पाईप होदी,
टैंक तथा पक्का निर्माण दुकाने आदि
का तकमीना - 75,839.77

1,27,500.00

75,839.77

10

79

10 23

3- 30.1 सोलेक्षिम की राशि रुपये -

61,001.93

उपरोक्त मुआवजा राशि पर नियमानुसार भुगतान प्रक्रिया तब ब्याज देव होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन नण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

उपरोक्त अवार्ड राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ग्रुप-4 विभाग के पत्र क्रमांक प071723नविआ/3/81 दिनांक 26-12-88 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गयी है। अतः आज दिनांक 28-12-88 को कुल 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि के मुआवजे का अवार्ड उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता है। इसकी प्रतियाँ सम्बन्धित को नियमानुसार प्रेषित है।

अवार्ड सरे इलजास घोषित किया गया एवं भरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया।


विशेष अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन नण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार सांगानेर, जयपुर।
4. सम्बन्धित खातेदार श्री _____

विशेष अधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर